न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 467 सन् 2016

पंजीयन दिनांक 29.12.2016

1. नन्दलाल पिता रामनाथ आचार्य ब्राह्मण निवासी बस्सी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. सत्यनारायण पिता रामनाथ आचार्य ब्राह्मण निवासी बस्सी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांटस

विरूद्व

1. रमजान अली पिता मोहम्मद इब्राहिम (चुडीघर) मुसलमान निवासी बस्सी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. बैंक ऑफ बडौदा शाखा बस्सी जरिये प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा बस्सी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 430/2012 निर्णय दिनांक 22.06.2015 डिक्री दिनांक 19.10.2016

उपस्थित– 1. खुमराज कुमावत –अधिवक्ता अपीलान्टस
2. बगदीराम धाकड–रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. रेस्पोडेन्ट सं.2–बावजूद सूचना अनुपस्थित
4. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 3

निर्णय **दिनांक 01.06.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं.1 वादी ने अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा बस्सी तहसील चित्तौडगढ की जमाबन्दी संवत् 2065–2068 की खाता सं. 647 मे दर्ज आराजी नम्बर 1042,1043,1044 कुल किता 3 कुल रकबा 0.37 हैक्टेयर स्थित है। उक्त आराजीयात के भू–प्रबन्ध मे साबिक आराजी नम्बर 103/31 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा मोहम्मद याकुब पिता गबरू चुडीघर को आंवटित हुई। तथा खातेदारी प्राप्त हुई। उक्त आराजी के नवीन आराजी नम्बर 1042,1043,1044 कुल किता 3 कुल रकबा 0.37 हैक्टेयर कायम किये। 2 बीघा 15 विस्वा के नवीन नाप अनुसार रेस्पोडेन्ट वादी के नाम 0.58 हैक्टेयर दर्ज होना चाहिये था। उसके मुकाबले रेस्पोडेन्ट वादी के खाते मे 0.21 हैक्टेयर कम करते हुए 0.37 हैक्टेयर भूमि ही दर्ज की। अपीलान्ट प्रतिवादी के विक्रेता प्रभुलाल पिता

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ

भानीराम भाट को साबिक आराजी नम्बर 103/12 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा भूमि आंवटित की गई। आराजी नम्बर 103/12 व आराजी नम्बर 103/31 आपस मे लगती हुई है। दोनो आराजीयात के दक्षिणी मेड पर आम रास्ता है। भू-प्रबन्ध अधिकारियो ने रेस्पोडेन्ट वादी का नवीन आराजी नम्बर 1044 कायम किया। उक्त आराजी के दक्षिणी पश्चिमी कोने को पश्चिमी रास्ते तक अपीलान्ट प्रतिवादी के आराजी सं. 1045 मे दर्ज कर दिया। रेस्पोडेन्ट वादी साबिक रकबे अनुसार वर्तमान मे मौके पर काबिज है। साबिक नक्शे अनुसार इन्द्राज दुरस्ती कराने व कमी रकबा 0.21 हैक्टेयर आराजी नम्बर 1048 मे से कम कर रेस्पोडेन्ट वादी की खातेदारी की घोषित कर रेकार्ड मे दर्ज कराने का निवेदन किया। विवादित कृषि आराजीयात के नवीन नक्शे मे अपने नाम दर्ज होने के आधार अपीलान्ट प्रतिवादीगण द्वारा हस्तान्तरण करने की धमकी देने से वाद कारण पैदा होना बताते हुए वादपत्र प्रस्तुत किया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्टगण व अन्य प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। उक्त प्रकरण मे दिनांक 04.09.2013 को अपीलान्ट नम्बर 2 की ओर से दो तरफा कार्यवाही का आवेदन प्रस्तुत किया गया। व प्रतिवादी सं. 1 अपीलान्ट नम्बर 1 की ओर से जवाब हेतु अवसर चाहा गया। पत्रावली प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 जाप्ता दिवानी व जवाब अपीलान्ट नम्बर 1 की ओर से विचाराधीन थी। व उक्त पत्रावली दिनांक 22.06.2015 को न्याय आपके द्वारा शिविर बस्सी में नियत की गई। जिसमे अपीलान्टगण भी उपस्थित हुए। व अपीलान्टगण के आदेशिका पर उपस्थिति के हस्ताक्षर करवा उक्त पत्रावली मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र डिक्री कर दिया।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा लोक अदालत के तहत पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। इस न्यायालय मे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल मिसल की। व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई। जिससे अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। व प्रार्थना पत्र मे यह निवेदन किया गया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री व संशोधित निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलान्टगण प्रतिवादीगण को दिनांक 22.11.2016 को हुई। जब रेस्पोडेन्ट वादी ने गांव मे राह बताया कि मेरे को नया वादपत्र पेश करने की स्वीकृति हो गई है एवं नक्शा ट्रेस दुरस्ती की कार्यवाही की पालना करवा रहा हूँ। प्रार्थना पत्र की ताईद मे शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य विश्वसनीय व स्वीकार योग्य होने से अपीलान्ट प्रार्थीगण का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद ली जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्टगण ने अपील मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट वादी की ओर से प्रस्तुत पत्रावली वास्ते जवाब व दो तरफा कार्यवाही के प्रार्थना पत्र मे विचाराधीन थी। इसी दरमियान पत्रावली राज्य सरकार के निर्देशानुसार न्याय आपके द्वार शिविर बस्सी लोक अदालत मे

नियत की गई जिसमे अपीलान्टगण भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की पालना मे उपस्थित हुए थे। अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने बिना किसी लिखित राजीनामे के बिना साक्ष्य व सबुत के लोक अदालत के तहत पत्रावली का गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का वादपत्र डिक्री कर दिया। जो बिना राजीनामे के होकर राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा लोक अदालत के सम्बन्ध मे पारित सिद्धान्त आरएलडब्ल्यु 2008 पार्ट-2 पेज 975 मे स्पष्ट किया गया है कि लोक अदालत विशुद्ध रूप से सुलह व पंचाट से सम्बन्धित है। यदि पक्षकारान के बीच राजीनामा नही होता है तो उक्त पत्रावली उस न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रेषित कर दी चाहिये, जिस न्यायालय से पत्रावली प्राप्त हुई। फिर भी हस्तगत प्रकरण मे अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का लिखित राजीनामा नही होने के बावजूद अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए निर्णय पारित किया है। जिससे अपीलान्टगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जावे। अपील मे यह भी निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट वादी मोहम्मद याकुब का क्रेता रहा है। जिसमे पंजीकृत बहनामे से मोहम्मद याकुब से कृषि भूमि क्रय की है। जो भूमि मोहम्मद याकुब से क्रय की गई है वह रेस्पोडेन्ट वादी के नाम दर्ज रेकार्ड है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट वादी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट वादी की ओर से वादपत्र घोषणा इन्द्राज दुरस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा के सम्बन्ध मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बस्सी तहसील चित्तौड़गढ़ मे खातेदार मोहम्मद याकुब की साबिक आराजी नम्बर 103/131 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि आंवटित हुई जो आंवटी मोहम्मद याकुब के खातेदारी मे दर्ज हुई। तत्पश्चात् नवीन भू-प्रबन्ध होकर नवीन आराजी नम्बर 1042,1043,1044 कुल किता 3 कुल रकबा 0.37 हैक्टेयर भूमि दर्ज की गई। जबकि नवीन नाप से 0.58 हैक्टेयर भूमि बनती है जिससे 0.21 हैक्टेयर रकबा कम दर्ज कर नवीन आराजी नम्बर 1048 जो अपीलान्टगण के नाम दर्ज रेकार्ड है मे अधिक दर्ज कर दी। उसको दुरस्त कराने का वादपत्र प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे विचाराधीन रहते हुए लोक अदालत मे नियत हुआ लोक अदालत मे उभयपक्ष उपस्थित हुए जिनकी सहमति के आधार पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने वादपत्र डिक्री किया गया है व रेस्पोडेन्ट वादी का कमी रकबा पूर्ण किया गया। उसके पश्चात् रेस्पोडेन्ट वादी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 जाप्ता दिवानी प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने दिनांक 19.10.2016 को संशोधित आदेश पारित किया गया जो विधिनुसार व रेकार्ड के अनुसार पारित किया गया है। अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से गलत तथ्यो के आधार पर अपीलान्ट प्रस्तुत की गई है। अपीलान्टगण की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त करने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 3 ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री व संशोधित आदेश दिनांक 19.10.2016 को विधिनुसार होना बताते हुए अपीलान्ट प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्व॰ न विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि रेस्पोडेन्ट वादी ने अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध मौजा बस्सी तहसील चित्तौड़गढ़ की खाता सं. 647 मे दर्ज आराजी नम्बर 1042, 1043, 1044 कुल किता 3 कुल रकबा 0.37 हैक्टेयर भूमि जो रेस्पोडेन्ट वादी ने जरिये पंजीकृत बहनामा खातेदार मोहम्मद याकुब पिता गबरू मुसलमान निवासी बस्सी से दिनांक 17.11.2003 को तादादी 40500/- रू. मे 0.37 हैक्टेयर भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। जिस पर रेस्पोडेन्ट वादी खरीद दिनांक से कब्जे काश्त मे है। रेस्पोडेन्ट वादी ने अपने वादपत्र मे यह तथ्य अंकित किये कि रेस्पोडेन्ट वादी के विक्रेता मोहम्मद याकुब को साबिक आराजी नम्बर 103/31 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि आंवटित हुई थी जो आंवटी मोहम्मद याकुब के खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड की गई। नवीन भू-प्रबन्ध के दौरान खातेदार आंवटी मोहम्मद याकुब का रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा के बजाय 0.37 हैक्टेयर रकबा दर्ज किया गया जबकि नवीन नाप से मोहम्मद याकुब का 0.58 हैक्टेयर दर्ज होना चाहिये था। जिससे भू-प्रबन्ध अधिकारियो ने मोहम्मद याकुब का 0.21 हैक्टेयर रकबा कम दर्ज कर उक्त रकबा नवीन आराजी नम्बर 1048 जो अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है से कम की जाकर उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड दर्ज कर नक्शे मे संशोधन कराने का वादपत्र प्रस्तुत किया गया। रेस्पोडेन्ट वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र पंजीकृत बहनामा दिनांक 17.11.2003 जिससे रेस्पोडेन्ट वादी ने उक्त आराजी क्रय की है के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। व उसी पंजीकृत बहनामे के अनुसार रेस्पोडेन्ट वादी नवीन आराजी नम्बर 1042.1043.1044 कुल किता 3 रकबा 0.37 हैक्टेयर का खातेदार दर्ज हुआ है। रेस्पोडेन्ट वादी ने पंजीकृत बहनामे से कृषि आराजीयात क्रय की है क्रयशुदा आराजीयात रेस्पोडेन्ट वादी के नाम दर्ज रेकार्ड है। मौजा बस्सी तहसील चित्तौड़गढ़ वर्ष 1982-83 मे भू-प्रबन्ध किया गया। व नवीन भू-प्रबन्ध मे साबिक आराजी नम्बर 103/31 के नवीन आराजी नम्बर 1042,1043,1044 कुल किता 3 कुल रकबा 0.37 हैक्टेयर मोहम्मद याकुब विक्रेता के नाम दर्ज रेकार्ड हुई। जो 20 वर्ष तक विक्रेता मोहम्मद याकुब के खातेदारी मे दर्ज रहने के पश्चात् मोहम्मद याकुब ने रेस्पोडेन्ट वादी को जो आराजी अपने खातेदारी मे दर्ज थी उसी आराजी को रेस्पोडेन्ट वादी को विक्रय की गई, वह रेस्पोडेन्ट वादी के खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड है। रेस्पोडेन्ट वादी की खरीदशुदा आराजीयात का कोई रकबा कमी बेसी नही हुआ था। विक्रेता का यदि कोई रकबा भू-प्रबन्ध के दरमियान कम ज्यादा हुआ है तो खातेदार उक्त रकबे मे कमी बेसी की पूर्ति कराने का अधिकारी था। रेस्पोडेन्ट वादी को अपने विक्रय पत्र के आधार पर विक्रय पत्र से अधिक रकबे की कमी पूर्ति का वादपत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नही था। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 जाप्ता दिवानी व जवाबदावा हेतु नियत था। जिसमे अपीलान्ट प्रतिवादी यह सभी आपत्तियां उठाते उससे पूर्व ही अधीनथ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपरिपक्व वादपत्र को लोक अदालत के तहत न्याय आपके द्वार शिविर बस्सी मे नियत किया गया। जिसमे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण भी उपस्थित हुए। जिन्होने जवाबदावा प्रस्तुत करने की इस्तदुआ कि जिनके आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त हस्ताक्षरो को अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की सहमति होना मानते हुए अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट वादी का वादपत्र बिना दस्तावेजी साक्ष्यो के प्रमाणित होना मानते हुए डिक्री किया गया है जबकि रेस्पोडेन्ट वादी

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़

मोहम्मद याकुब का क्रेता है व मोहम्मद याकुब के खाते मे जो आराजीयात दर्ज रेकार्ड रही है। उक्त आराजीयात को पंजीकृत बहनामे से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। ऐसी स्थिति मे पंजीकृत बहनामे से अधिक भूमि रेस्पोडेन्ट वादी अपने खातेदारी मे दर्ज कराने का अधिकारी नही होते हुए भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट वादी का वादपत्र डिक्री किया है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिनुसार नही होने से व रेस्पोडेन्ट वादी का वादपत्र पोषनीय नही होने से अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्टगण प्रतिवादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 430/2012 रेवेन्यू वाद निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2015 व संशोधिक आदेश दिनांक 19.10.2016 निरस्त किया जाकर रेस्पोडेन्ट वादी का वादपत्र पोषनीय नही होने से निरस्त किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लोटायी जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

अपील सं. 467/2016/डिक्री

① श्री नन्दलाल पिता रामनाथ आचार्य ब्राह्मण निवासी बस्सी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ② सत्यनारायण पिता रामनाथ आचार्य ब्राह्मण निवासी बस्सी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़	बनाम	① श्री रमजान अली पिता मोहम्मद इब्राहिम (चूड़ीगर) मुसलमान निवासी बस्सी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ② बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बस्सी जरिये प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बस्सी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ③ राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़
-अपीलान्ट		-रेस्पोडेन्ट

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ दि. 22-6-15 डिक्री दिनांक 19-10-16

प्रकरण सं. 430/2012 अन्तर्गत धारा 88,89,188 रा.का.अ. 1955

निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 01-6-2022 को अपीलान्ट की ओर से

अधिवक्ता श्री खुमराज कुमावत रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री बागदीराम धाकड़ रेस्पो.सं. 1 रेस्पो.सं. 2 आवजूद सूचना अनुपस्थित सुरजमल (राजकीय अधिवक्ता) रेस्पो.सं. 3

की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि -

अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 430/2012 रेवेन्यू वाद निर्णय व डिक्री दिनांक 22-6-2015 व संशोधित आदेश दिनांक 19-10-2016 निरस्त किया जाकर रेस्पोडेन्ट वादी का वादपत्र पोषनीय नहीं होने से निरस्त किया जाता है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि ....-........ रुपये हैं,

........-........ द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे ....-........ द्वारा दिये जाने हैं।

यह आज दिनांक 01-6-2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

(श्री हरिसिंह मीना) (आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक : 01-6-2022

अपील खर्चे :

अपीलान्ट	रूपये	रेस्पोडेन्ट	रूपये
1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. आदेशिकाओं की तामील		3. आदेशिकाओं की तामील	
4. .... रू. पर प्लीडर की फीस	शून्य	4. .... रू. पर प्लीडर की फीस	शून्य
योग		योग	